भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 564

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रणाली

564. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगौर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एमएसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रणाली स्थापित न करने के क्या कारण हैं, विशेषकर जब उक्त एमएसएमई में से 95 प्रतिशत के पास औपचारिक ऋण की उपलब्धता नहीं है और यह देखते हुए कि एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत का योगदान करते हैं और 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं;

(ख) क्या यह सब्सिडी तक उनकी पहुंच में बाधा बन रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा एमएसएमई को सहायता दिए जाने के दावे के बावजूद, वर्ष 2024 के सर्वेक्षण में पाया गया है कि औपचारिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अभाव में 60 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई सरकारी राजसहायता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करते है और यदि हां, तो विशेषकर अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उक्त मुद्दे की उपेक्षा करने के क्या कारण है;

(घ) क्या यह सच है कि हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि क्रेडिट रेटिंग प्रणाली की कमी के कारण केवल 15 प्रतिशत एमएसएमई सब्सिडी योजनाओं से लाभ उठाते हैं और यदि हां, तो उक्त मुद्दे का समाधान न करने के क्या कारण हैं जो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास को बाधित कर रहा है; और

(ङ) एमएसएमई को राजसहायता प्राप्त करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए एक प्रणाली को लागू न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : हाल के वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच में वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़े दर्शाते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र को बकाया क्रेडिट दिनांक 31.03.2014 को 10.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31.03.2024 तक 27.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एमएसएमई क्षेत्र को निर्बाध क्रेडिट प्रदान करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें अन्य के साथ-साथ बैंक ऋण पर मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी प्रदान कर गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), संयंत्र और मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कोलेटरल मुक्त ऋणों हेतु एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण, पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा ऋण आदि शामिल हैं।

इस दिशा में, केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई थी, जो निम्नानुसार है:

- विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम;
- एमएसएमई क्रेडिट के लिए नया मूल्यांकन मॉडल;
- दबाव की अवधि के दौरान एमएसएमई को क्रेडिट सहायता;
- मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है;

(ग) से (ङ) : सभी बैंक/वित्तीय संस्थान किसी ऋण की संस्वीकृति से पहले भावी एमएसएमई की रेटिंग की जांच करते हैं, जिसकी प्रतिवर्ष सभी बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा समीक्षा की जाती है। कोई भी एमएसएमई किसी भी बाहरी एजेंसी से एमएसएमई रेटिंग प्राप्त कर सकता है। एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न उपाय करता है जिनमें जागरुकता कार्यक्रमों सहित और लाभार्थियों के लिए सब्सिडी स्कीमें अर्थात पीएमईजीपी शामिल है, जिसके तहत स्कीम की शुरुआत से वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) 26,492.84 करोड़ रुपए राशि की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ 9.96 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है और विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत आज की तिथि तक 2,503 एससीएलसीएसएस दावों के लिए 288.16 करोड़ रुपए राशि संवितरित की गई है। यह सूचना उद्यममित्र पोर्टल (www.udyamimitra.in) जैसी वेबसाइट पर, सार्वजनिक मंच पर भी उपलब्ध है।

*****